रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED NO. D. (D.L.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 312] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 1984/आषाढ़ 15, 1906
No. 312] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 1984/ASADHA 15, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1984

सं० 194/84-सीमा शुल्क

का०आ० 488(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों को, जहां भी वे तैनात हैं, सीमा शुल्क अधिकारी के ऐसे कृत्य सौंपती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं और निर्देश देती है कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर सीमा शुल्क अधिकारी के ऐसे कृत्यों का प्रयोग करेगा।

सारणी

क्रम सं०	अधिकारी का पदनाम	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन कृत्य
1.	सभी कमांडेंट (समादेष्टा), सहायक कमांडेंट और कम्पनी कमांडेंट	1. धारा 100 से 104 (दोनों सम्मिलित हैं), 106, 107, 109 और 110 के अधीन कृत्य। 2. ऐसे स्थानों पर जहां सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधीक्षक की या उससे ऊपर की पंक्ति का कोई सीमा शुल्क अधिकारी पदस्थ नहीं है धारा 105 और 108 के अधीन कृत्य।
2.	सभी सूबेदार मेजर, सूबेदार और उप-निरीक्षक	धारा 100 से 104 (दोनों सम्मिलित हैं) 106 107, 109 और 110 के अधीन कृत्य।
3.	हैवलदार और नायक	धारा 100, 102, 106 और 110 के अधीन कृत्य

[अधिसूचना सं० 394/50/81-सीमा शुल्क (ए०एस०)]

अशोक मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 1984

No. 194/84-CUS.(AS)

S.O. 488(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby entrusts to the officers of the Indo-Tibetan Border Police mentioned in column 2 of the Table below, wherever posted, the functions of an officer of Customs specified in the corresponding entry in column 3 of the said Table and directs that each such officer shall exercise the functions of an officer of Customs within the local limits of his jurisdiction.

TABLE

S. No.	Designation of Officer	Functions under the provisions of the Customs Act, 1962
1	2	3
1.	All Commandants, Assistant	1. Functions under sections 100 to 104 (both inclusive) 106, 107, 109 and 110

1	2	3
	Commandants and Company Commander	2. Functions under sections 105 and 108 in places where no officer of the Customs of the rank of Superintendent of Customs and Central Excise or above is stationed.
2.	All Subedar Majors, Subedars and Subedars	Functions under sections 100 to 104 (both inclusive), 106, 107, 109 and 110.
3.	Head Constables and Naiks	Functions under sections 100, 102, 106 and 110.

[Notification No. 394/50/81-CUS (AS)]

ASHOK MEHTA, Under Secy.

IndiaCode

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984

IndiaCode